रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल, भोपाल बेन्च

श्री अजय कुमार गर्ग, माननीय सदस्य (न्यायिक) रे.दा.अ./भोपाल

दावा आवेदन क्रमांक : OA-IIu/BPL/143/2021
दावा पंजीकरण तिथि : 29-10-2021
आदेशार्थ रखने की तिथि : 26th June, 2025
आदेश तिथि : 07th July, 2025

1) अंगूरीबाई खागर पत्नी स्व0 श्री निहालसिंह,
2) लक्ष्मीबाई पुत्री स्व0 श्री निहालसिंह,
3) राजकुमार पुत्र स्व0 श्री निहालसिंह,
निवासी–ग्राम करारी, पोस्ट–भिदवासन,
तहसील–बासौदा, गंजबासौदा,
जिला–विदिशा (म0प्र0) पिनकोड–464221 .....आवेदक

विरूध्द

भारत संघ,
द्वारा–महाप्रबंधक,
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर (म0प्र0) .....रेस्पांडेन्ट

दावा राशि : Rs. 8,00,000/-

प्रतिनिधित्व : श्रीमती किरण गहलोत, आवेदक–अधिवक्ता,
श्री सुरेश नारायण सक्सेना, रेस्पांडेन्ट–अधिवक्ता.

:: नि र्ण य ::

1. आवेदकों ने अपने पति/पिता मृतक *निहालसिंह पिता स्व0 श्री प्रताप सिंह* के अनपेक्षित घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, *1987* के सेक्शन–*16* के अन्तर्गत रेस्पांडेन्ट रेलवे से क्षतिपूर्ति के रूप में रूपये *08 लाख* प्राप्त करने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया गया है.

2. आवेदन एवं शपथपत्र के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि 49 वर्षीय मृतक मजदूरी करता था एवं व दिनांक 26-04-2019 को रोज की तरह मजदूरी करने विदिशा गया था एवं विदिशा से वापिस गंजबासौदा आ रहा था. उस दिन मृतक को घर के लिए जरूरी सामान लाना था एवं सामान ज्यादा होने से उसने अपने साथी, गंजबासौदा निवासी–संजीव शर्मा जिसके रिश्तेदार विदिशा में रहते हैं एवं वो उस दिन अपने रिश्तेदार के यहाँ विदिशा में ही रूकने वाला था, इसलिए उसे सामान चढ़ाने के लिए बुलाया था. दोस्त के आने पर मृतक ने यात्रा का टिकट खिड़की पर लाईन में लगकर खरीदा और दोस्त की मदद से अपना सामान ट्रेन में चढ़ाया, किन्तु भीड़ अधिक होने से मृतक को बैठने की जगह न मिलने पर वह सामान सहित दरवाजे पर ही खड़ा था, दोस्त भी ट्रेन के रवाना होने पर चला गया, ट्रेन जैसे ही पवई के किलोमीटर्स क्रमांक–921/24 के पास से गुजर रही थी तभी कोच की अत्याधिक भीड़ के कारण लगे धक्के एवं ट्रेन के झटके के कारण मृतक चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और गिरने से शरीर के अंग भंग हो जाने से उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई. घटनास्थल के निकट रहने वाले

निरंतर.....2/पर

01/09/25
सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

मृतक के मौसेरे भाई ने भीड़ को देखकर वहाँ पहुँचकर मृतक को देखकर उसके भाई–टीकाराम को दी जिसने मंझले भाई–यशवंत को सूचित किया. घटनास्थल पर पहुँचने के बाद रौशनी का पर्याप्त इंतजाम न होने पर दूसरे दिन सुबह दिनांक 27-09-2019 को पंचनामा आदि की कार्यवाही शुरू की गई. अतः पति/पिता की मृत्यु होने से तथा मृतक के माता–पिता की मृत्यु पूर्व ही में हो जाने से अब पत्नी एवं संतान के तौर पर आवेदक ही आश्रित होने से रेस्पांडेन्ट रेलवे से प्रतिपूर्ति के तौर पर प्रतिकर राशि प्राप्त करने के लिए यह दावा आवेदन पेश किया गया है.

3. रेस्पांडेन्ट रेलवे ने वैधानिक तरीके से की गई अपनी जांच जिसे डीआरएम रिपोर्ट कहा गया है, में पाये गये निष्कर्ष के आधार पर घटना के समय मृतक के बोनाफ़ाइड पैसेन्जर होने, किसी यात्री ट्रेन से यात्रा करने पर ही प्रश्नचिन्ह लगाते हुए यह कहा है कि गाड़ी संख्या–PLBR (मालगाड़ी) के लोको पायलट–श्री नीरज कुमार के अनुसार उनकी गाड़ी जब समय 18:18 पर गेट क्रमांक–284/C से पास हो रही थी तो मृतक उनकी गाड़ी के इंजन के आगे कूद कर आत्महत्या की, जिसकी सूचना एसएस/पबई को दी और ट्रेन को गेट पर रोककर गेटमेन को सूचना दी और वॉकीटॉकी से गार्ड को भी दी. इन्हीं तथ्यों की पुनरावृत्ति गार्ड–श्री महेश नारायण श्रीवास्तव ने भी की है एवं अपने कथनों में भी इसकी पुष्टि की है, लोको पायलट की सूचना पर स्टेशन मास्टर/पबई द्वारा इसकी प्रविष्टि अपनी स्टेशन डायरी में की है. इस प्रकार मृतक किसी यात्री गाड़ी में यात्रा करते हुए नहीं गिरा है, अपितु उक्त मालगाड़ी के सामने कूदकर आत्महत्या की है. ए–5 नक्शा–पंचायतनामा में शव की जो स्थिति उल्लेखित की है वह भी किसी यात्री गाड़ी से गिरने के दौरान संभव नहीं है, बल्कि ऐसी चोटें अथवा शव की स्थिति ट्रेन से टकराने से ही संभव है. इस प्रकार प्रकरण सारहीन व निराधार होने से व्यय सहित निरस्त किये जाने की प्रार्थना रेस्पांडेन्ट की ओर से की गई है.

4. पक्षकारों के अभिवचनों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित इश्यूज की रचना की गई :–

1) *Whether the deceased was a bonafide passenger at the time of incident ?*

2) *Whether the death of deceased was due to the said alleged untoward incident as defined under Sec. 123 (c) (2) read with Sec. 124 A of Railways Act, 1989 ?*

3) *Whether the Respondent railway is protected under the exemption clause to Section 124-A of the Railways Act, 1989 and is not liable to pay any compensation to the applicants ?*

4) *Whether the applicants are the legal dependents of the deceased to claim/receive the compensation, if any, granted ? Who else are the dependants ?*

5) *Relief and cost ?*

5. आवेदकों की ओर से क्रमांक–1 ने अपने शपथपत्र *(AW/1)* के साथ लिखित साक्ष्य

निरंतर.....3/पर

सहायक जोयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

के रूप में *A-1 to A-17* तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वहीं रेस्पाडेन्ट रेलवे की ओर से लिखित साक्ष्य के तौर पर डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* को विस्तृत रूप से पेश करते हुए उसकी ओर से जाँच अधिकारी–श्री राजेन्द्रकुमार, एसआई/आरपीएफ, वर्तमान में बारां में पदस्थ *(RW/1)* के साथ घटना के प्रत्यक्षदर्शियों, लोको पायलट–श्री नीरज कुमार, तत्समय गाड़ी संख्या–PLBR/SR पर पदस्थ *(RW/2)* एवं तत्समय गेटमेन के पद पर गेट संख्या–284/C पर पदस्थ–भरतराम अवस्थी, प्वाईन्ट्समेन *(RW/3)* को शपथपत्रों के साथ उपस्थित कराया गया है. चारों ही साक्षियों का प्रति–परीक्षण कोर्ट के सम्मुख किया गया.

6. तदनुसार पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई सारगर्भित बहस को बड़े ध्यान से सुन कर और अभिवचनों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर के, उक्त इश्यूज पर मेरा निष्कर्ष इस प्रकार है :–

:: निष्कर्ष ::

इश्यूज कमांक–1, 2 एवं 3 :

7. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन तीनों इश्यूज पर एकसाथ विचार किया जा रहा है. *रेल यात्री (मैनर ऑफ इनवेस्टिगेशन ऑफ अनटूवर्ड इन्सीडेन्ट), नियम 2003* के अधीन प्रस्तुत की गई वैधानिक तरीके से की गई जॉच रिपोर्ट जिसे संक्षिप्त मे डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* कहा गया है, में रेस्पांडेन्ट ने दावे का पूरजोर विरोध करते हुए यह कहा है कि मृतक के पास यात्रा का कोई टिकट नहीं मिला है, क्योंकि घटना के समय मृतक किसी भी ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहा था, अपितु उसने मालगाड़ी नंबर–PLBR के इंजिन के आगे कूद कर आत्महत्या की है, इसकी सूचना चालक (नीरज कुमार) एवं परिचालक (महेश नारायण श्रीवास्तव) द्वारा वॉकीटॉकी पर पबई स्टेशन को दी थी, उसी प्रकार घटनास्थल पर स्थित रेलवे गेट पर पदस्थ गेटमेन–भरतराम अवस्थी द्वारा भी अपने कथन में यही बताया है कि जब वह फाटक बंद कर सिगनल एक्स्चेंज के लिए फाटकी की गुमठी से निकलकर बाहर खड़ा था तब मृतक अचानक पास हो रही उक्त मालगाड़ी के इंजिन के आगे कूद कर रनआवेर हो गया, जिसकी सूचना उसने ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर को दी थी और उन्होंने बताया कि यह सूचना उक्त गाड़ी के चालक एवं परिचालकर द्वारा भी वॉकीटॉकी पर दी गई है. इसका इन्द्राज चालक की नोटबुक में है एवं स्टेशन डायरी में भी है.

8. मेरे द्वारा परिस्थितिजन्य हालातों व प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक साक्ष्यों का गहराई से अवलोकन किया एवं दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई सारगर्भित बहस को बड़े ध्यान से सुना. आवेदक–साक्षी की गवाही से यह प्रमाणित है कि वह साथ में यात्रा नहीं कर रही थी, अपितु उसने कहा है कि मृतक को गाड़ी पर छोड़ने वाले कथित मृतक के दोस्त–संजीव शर्मा ने उसे बताया था कि मृतक ने सामान चढ़ाने के लिए उसे गाड़ी पर बुलाया था. दूसरीओर से रेस्पांडेन्ट के अनुसार मृतक किसी गाड़ी से यात्रा नहीं कर रहा था, अपितु घटनास्थल पर मालगाड़ी नंबर–PLBR के इंजिन के आगे कूदकर मतृतक ने आत्महत्या की है, अतः आवेदिका को

निरंतर.....4/पर

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल

इस अति महत्वपूर्ण साक्षी–संजीव शर्मा को कोर्ट के सामने प्रस्तुत कराना अनिवार्य था, किन्तु इसे प्रस्तुत न करने से रेस्पांडेन्ट का यह आरोप अखण्डित ही रहा है. दूसरी ओर रेस्पांडेन्ट की ओर से घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के तौर पर मालगाड़ी नंबर–PLBR के तत्समय चालक को साक्षी–RW/2 के तौर पर उपस्थित कराया है, जिसकी गवाही से यह साबित होता है कि मृतक घटनास्थल पर उपस्थित था एवं इस गाड़ी के घटनास्थल से थ्रू पास होते समय अचानक इसके इंजिन के आगे आकर कूद गया था, जो कि आत्महत्या का ही उद्देश्य दर्शा रहा है. रेस्पांडेन्ट की ओर से घटनास्थल पर स्थित गेट के तत्समय ड्यूटी पर उपस्थित गेटमेन–भरतराम अवस्थी को भी साक्षी–RW/3 (त्रुटिवश इसे भी RW/2 अंकित कर दिया गया है) के तौर पर कोर्ट के सम्मुख उपस्थित कराया गया है, जिसकी गवाही से भी यही साबित होता है कि मृतक घटनास्थल पर उपस्थित था और अचानक उक्त गाड़ी के इंजिन के आगे आकर कूद गया था. प्रति–परीक्षण में जब इससे यह प्रश्न किया गया कि जब इसने मृतक को दौड़ते हुए आकर देखा तो मृतक को बचाने की कोशिश नहीं की तो उत्तर में इस साक्षी ने यही कहा है कि सबकुछ इतना अचानक हुआ और जैसे ही वो जोर से चिल्लाया तो इतने में मृतक कूद गया. मृतक के मालगाड़ी नंबर–PLBR के इंजिन के आगे कूदने के उक्त मौखिक साक्षियों के अलावा लिखित साक्ष्य के तौर पर चालक (आर–6) एवं परिचालक की नोटबुक (आर–8) के अलावा स्टेशन डायरी (आर–10) भी प्रकरण में उपस्थित है. इस प्रकार स्टेशन डायरी जो कि ड्यूटी के दौरान बनाई गई है एवं इसको सत्यापित किया गया है तो *Section 191 in The Railways Act, 1989* के अन्तर्गत ये दस्तावेज स्वीकार्य दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर ग्रहण किये जाते हैं एवं इसकी पुष्टि कोर्ट के सम्मुख उपस्थित दोनों ही साक्षियों की गवाही से हो जाती है, वहीं रेस्पांडेन्ट की ओर से जाँचकर्ता अधिकारी को भी कोर्ट के सम्मुख उपस्थित कराया गया है, जिसने जाँच के दौरान उक्त साक्षियों के लिये गये कथनों (आर–4, 5 एवं 7) को साक्षियों के कहे अनुसार लिये जाने को कोर्ट के सम्मुख अपनी गवाही में स्वीकार किया है.

9. अतः आवेदिका की ओर से मृतक को ट्रेन पर बैठाने वाले कथित दोस्त–संजीव शर्मा को कोर्ट के सम्मुख उपस्थित नहीं कराये जाने से आवेदिका का यह कथन साबित नहीं हो सका है कि घटना के समय मृतक यात्रा कर रहा था, अपितु रेस्पांडेन्ट के साक्षियों की गवाही प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से पूरी तरह से समर्थित हो जाने यही साबित हो रहा है कि घटना के समय मृतक विदिशा से गंजबासौदा की यात्रा नहीं कर रहा था इसलिए उसका टिकट खरीदना एवं गुम हो जाना दोनों ही सत्य नहीं है, अपितु वह तत्समय घटनास्थल पर उपस्थित था एवं जैसे ही मालगाड़ी नंबर–PLBR के वहाँ से थ्रू पास हो रही थी, मृतक आत्महत्या के उद्देश्य से इस गाड़ी के इंजिन के आगे कूद गया था एवं चपेट में आने से उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी. अतः मैं यह अवधारित करता हूँ कि रेस्पांडेन्ट ने यह पूख्ता तौर पर साबित कर दिया है कि उक्त घटना रेलवे एक्ट, *1989* के सेक्शन–*124 A* के अपवादों के अधीन आती है, जिसके लिए रेस्पांडेन्ट आवेदकों को किसी भी प्रकार का मुआवजा देने हेतु दायी नहीं है, तदनुसार तीनों इश्यूज को आवेदकों के विरूध्द निर्णीत किया जाता है.

शेष.....5/पर

सहायक संजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

रेल दावा अधिकरण
प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
भोपाल पीठ, भोपाल

इश्यूज क्रमांक–4 एवं 5 :

10. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन पर एक साथ विचार किया जा रहा है. मृतक पति/पिता की पत्नी व संतान के तौर पर आवेदक ही आश्रित होने से उनके द्वारा यह दावा दाखिल किया है एवं अपनेआप को आश्रित साबित करने के लिए मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, वोटरकार्ड, आवेदकों के आधारकार्ड/वोटरकार्ड, बैंक पासबुक तथा रॉशनकार्ड/समग्र आयडी *(A-8, 10 to 20)* आदि दस्तावेज पेश किये गये हैं. आवेदकों की ओर से ए–21 पर मृतक के एक पुत्र–पवन के मृत्यु हो जाने का प्रमाणपत्र भी पेश किया है तथा दावा आवेदन में मृतक के माता–पिता की मृत्यु पूर्व ही में हो जाने का अभिवचन किया गया है. इस तरह से *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन– 123 (B) (i)* के अधीन आवेदक मृतक की पत्नी एवं संतान के तौर पर आश्रित साबित तो होते हैं, किन्तु इश्यूज क्रमांक–1 एवं 2 के अनुसार मृतक घटना के किसी ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहा था अपितु वह घटनास्थल पर पहले से उपस्थित होकर थ्रू पास हो रही मालगाड़ी नंबर–PLBR के इंजिन के आगे कूदकर आत्महत्या की है जो कि बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटुवर्ड इंसीडेन्ट के बाहर की घटना थी इसलिए मैं रेस्पांडेन्ट रेलवे को किसी भी प्रकार का मुआवजा देने हेतु उत्तरदायी नहीं ठहराता हूँ क्योंकि उसका दायित्व इसी एक्ट के *सेक्शन–124 A* के अन्तर्गत तभी उदित होता है जब कि *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन– 123 (C)* के अनुसार बोनाफाइड पैसेन्ज़र के साथ अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की घटना हो. तदनुसार आवेदकों द्वारा दाखिल किये गये इस दावा आवेदन को खारिज/अस्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते हैं :–

:: आ दे श ::

11. आवेदकों द्वारा अपने मृतक पति/पिता के साथ बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की घटना को साबित नहीं किये जाने को देखते हुए आवेदकों का प्रतिकर हेतु संस्थित यह दावा आवेदन खारिज /अस्वीकार किया जाता है.

12. तदनुसार इस मूल दावा आवेदन का निस्तारण किया जाता है. पक्ष अपना–अपना वादव्यय वहन करेंगे. इस आदेश की प्रति पक्षों को नियमानुसार प्रदान की जाएगी. प्रकरण–फाइल रेकार्ड रूम को प्रेषित की जाए.

07/7/25

(अजय कुमार गर्ग)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 07th July, 2025 को उद्घोषित होकर हस्ताक्षरित किया गया.

07/07/25

(अजय कुमार गर्ग)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

01/08/25

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल